समक्ष : न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर (म.प्र.)

I/निगरानी/दमोह/भू.रा./2017/3199

पुनरीक्षणकर्ता:- शिवप्रसाद पिता झामसींग गौंड़ उम्र 42 वर्ष

सा.बमनौदा, तह.–तेंदूखेड़ा, जिला–दमोह

बनाम

उत्तरार्थी :- म.प्र.शासन

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण प्रथम अपीलीय न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तेंदूखेड़ा जिला दमोह द्वारा रा.प्र.क्र. 38 अ/6 वर्ष 2016–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17.08.2017 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर सादर प्रस्तुत करता है :-

प्रकरण के तथ्य

A – यह कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा ग्राम समनापुर प.ह.नं. 50 तह.तेंदूखेड़ा स्थित ख. नं. 913/2 रकवा 0.40 हे. भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.06.2016 अनुसार क्रय की गई थी, जिसका पंजीयन क्र. एम.पी. 08952016 ए 1395263 है। उक्त विक्रय पत्र पर नामांतरण सं.पं.क्र. 5 वर्ष 2016–17 आदेश दिनांक 23.02.2017 अनुसार तहसीलदार महोदय द्वारा स्वीकृत किया गया था। पुनरीक्षणकर्ता का उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण आदेश, पुनरीक्षणकर्ता को सूचना दिये बिना, विचारण न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से पुर्नविलोकन किया गया एवं बिना पुनरीक्षणकर्ता को सुने एक पक्षीय रूप से निरस्त कर दिया गया था।

B – यह कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय तहसीलदार तेंदूखेड़ा जिला दमोह के रा.प्र.क्र. 1/पुर्नविलोकन/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2017 से परिवेदित होकर एक अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तेंदूखेड़ा के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

निरंतर.......2

(9)

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2017/3199 शिवप्रसाद विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तेंदूखेडा जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 38 अ/6वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 17-08-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 29-08-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर दमोह के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि	

3/1/19

लेकर कलेक्टर दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर दमोह के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31/1/19
सदस्य